

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)

बेत्ती रोड, पटना 800 015, (बिहार)

फोन नंबर: 0612-2215001

ईमेल आई.डी.: registrar.bnrc-bih@gov.in



सं0सं0-788 / बी.एन.आर.सी. / 2021(विविध) 429/BNRC दिनांक... 10.1.03.../2022

अधिसूचना

विषय:- ऐसे सभी संस्थानों के सभी संकाय सदस्यों/छात्रों का नर्स पंजीकरण तथा ट्रेकिंग सिस्टम(एन0आर0टी0एस0) में नामांकन के संबंध में, जिन्होंने अभी तक एन0आर0टी0एस0 में नामांकन नहीं कराया है।

प्रसंग:- स्वा0एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वा0एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-D.O. No-Z-28015/972014-N, Dated 16-02-2022, एवं भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक-F.No-22-10/NRTS/2019-INC, Dated 31-12-2021

भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा "नर्सों का लाइव रजिस्टर" तैयार करने के लिए, सभी राज्य उपचर्या पंजीयन परिषदों(एन0एन0आर0सी0) के सहयोग से देश भर में नर्स पंजीकरण तथा ट्रेकिंग सिस्टम(एन0आर0टी0एस0) लागू कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार, यह इस मिशन के प्रमुख घटकों का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। इसलिए सभी प्रशिक्षित नर्सों को एन0आर0टी0एस0 में अपना नामांकन कराने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी नर्सिंग संस्थानों, जो भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 13 तथा 14 के तहत उपयुक्तता प्राप्त करना चाहते हैं, को अनिवार्यतः अपने सभी संकाय सदस्यों और पी0बी0बी0एस0सी0(नर्सिंग), एम0एस0सी0नर्सिंग, एन0पी0सी0सी0 तथा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्रों का नामांकन एन0आर0टी0एस0में कराना होगा और संबंधित राज्य परिवारिका निबंधन परिषद् से उनका नर्स यूनिफ आइडेंटिटी नंबर(एन0यू0आई0डी0) लेना होगा। सभी संकाय सदस्य/छात्र एन0आर0टी0एस0 में नामांकन के लिए एन0आर0टी0एस0 पोर्टल <http://nrts.indiannursingcouncil.gov.in/login.nic> पर लॉग इन करके नामांकन कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ तथा आधार प्रमाणीकरण आधार से लिंक हुए आपके मोबाईल नंबर पर आए ओ0टी0पी0 के माध्यम से आपलोड कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार, वर्ष 2022-23 के लिए उपयुक्तता के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संकाय सदस्यों और छात्रों का एन0यू0आई0डी0 नंबर होना अनिवार्य है।

अतः अब से सभी नर्सिंग संस्थानों द्वारा अपने संस्थानों में नए संकाय सदस्यों के लिए सेवामार ग्रहण करने से पहले, और साथ ही संस्थानों में पहले से कार्यरत सभी संकाय सदस्यों के लिए एन0यू0आई0डी0 नंबर लेना अनिवार्य किया जाता चाहिए, जिसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है।
अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-
(निर्जला कुमारी)
निबंधक,

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।


ज्ञापांक-सं0सं0-788 / बी.एन.आर.सी. / 2021(विविध) 429/BNRC दिनांक... 10.1.03.../2022

प्रतिलिपि:-सभी प्राचार्य/सचिव/निदेशक, सरकारी एवं निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:-निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)-सह-अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


10/01/22
निबंधक,

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

Dt- 28/02/2022

E-Mail




भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare
D.O. No. Z-28015/97/2014-N
16th February, 2022

राजेश भूषण, आईएफएस
सचिव
RAJESH BHUSHAN IAS
SECRETARY

Azadi Ka
Amrit Mahotsav

DR NO. 27513/2022
28/02/2022



Chief Secretary,

Please refer to the Ministry's communication dated 03.11.2021 (copy enclosed) regarding implementation of the Nurses Registration and Tracking System (NRTS) for an online and live Register of nursing personnel in the country.

2. Under the NRTS, a Unique Identification Number (NUID) and a Nurse Passport indicating the complete profile of a nurse is provided to each Nurse resulting in ease of verification by hospitals/institutions across the country before employing any nurse/midwife.

3. You will appreciate that maintenance of an online Live Register of nursing personnel facilitates policy planners at Centre and States by providing State/District and Specialty-wise authentic and up-to-date data of nurses who are in active service in the country. The NRTS is also beneficial for the registered nurses as it cuts down on the procedural delays involved in registration and helps in reciprocal registration of nurses for seamless/transparent migration of Nurses from one State to another. Further, NRTS will form a part of the Health Professional Registry under Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM).

4. A significant number of registered Nurses' data have been enrolled/ported to the NRTS integrated web portal, primary Registration of newly passed out nursing students is not being done directly in the NRTS portal, thereby adversely impacting the very purpose of a Live Register of Nurses in the country.

5. I, therefore, request you to direct the State Nursing Registration Council of your State/UT to adopt the NRTS for all types of Registrations of Nurses in your State/UT so as to achieve the very purpose of getting real time data of all nursing professionals available in active service in the country.

Warm Regards,

Yours sincerely,

(Rajesh Bhushan)

Encl. : A/a

To : Chief Secretary/ Administrators of all States/UTs

Copy to: Secretary, Indian Nursing Council with request to coordinate with State Nursing Registration Councils.

Room No. 156, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Tele : (O) 011-23061863, 23063221, Fax : 011-23061252, E-mail : secyhtfw@nic.in

709 (HR)
श्री/म
मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
S.O-06
28.2.22